23 दिसंबर, 2021 करेंट अफेयर्स

1. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मिशन:

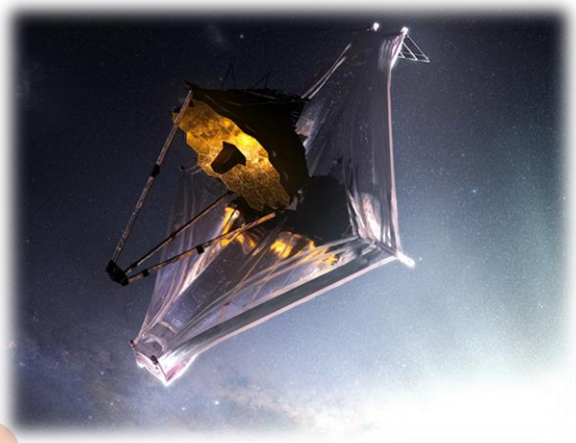

मुख्य तथ्य:

नासा अपने बहुप्रतीक्षित अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष दूरबीन मिशन को **"जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मिशन"** नाम से लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जब भी मौसम साफ होगा, इसे एरियनस्पेस द्वारा संचालित एरियन 5 रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा।

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST या वेब) के बारे में:

JWST दशकों से कार्य कर रहा है। इसे नासा, कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी (सीएसए) और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। नासा के प्रमुख खगोल भौतिकी मिशन के रूप में, हबल स्पेस टेलीस्कोप को सफल बनाने की योजना है। इसे 25 दिसंबर, 2021 के आसपास एरियन उड़ान VA256 के दौरान लॉन्च किया जाएगा। JWST का प्राथमिक दर्पण यानी ऑप्टिकल टेलीस्कोप एलिमेंट, में 18 हेक्सागोनल मिरर सेगमेंट शामिल हैं। ये खंड गोल्ड प्लेटेड बेरिलियम से बने हैं।

इस मिशन का उद्देश्य:

JWST मिशन हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में बेहतर इंफ्रारेड रिज़ॉल्यूशन और संवेदनशीलता प्रदान करेगा। यह खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में जांच की एक विस्तृत श्रृंखला को सक्षम करेगा, जिसमें अंतरिक्ष में कुछ सबसे दूर की घटनाओं और वस्तुओं का अवलोकन शामिल है, जैसे कि पहली आकाशगंगाओं का निर्माण और संभावित रहने योग्य एक्सोप्लैनेट की विस्तृत वायुमंडलीय विशेषताएं।

एरियन उड़ान VA256:

यह 256वां एरियन मिशन है। यह मिशन, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करेगा। एरियन 5 एक भारी लिफ्ट के साथ दो चरणों वाला रॉकेट है जिसमें दो ठोस ईंधन बूस्टर सम्मिलित हैं। इस रॉकेट का उपयोग, इसके ईसीए संस्करण में किया जाएगा, जो उच्चतम पेलोड द्रव्यमान क्षमता प्रदान करता है। इस वाहन का कुल प्रक्षेपण द्रव्यमान लगभग 770,000 किलोग्राम है। इसका एकमात्र पेलोड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) है। यह प्रक्षेपण यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के योगदानों में से एक है।

2. खेल मंत्री ने पेश किया 'डोपिंग रोधी विधेयक':

हाल ही में, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में "डोपिंग रोधी विधेयक" पेश किया।

इस विधेयक के प्रमुख बिंदु:

- यह विधेयक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) के कामकाज के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करने पर केन्द्रित है।
- यह विधेयक नाडा को छापे मारने और भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के उपायों को मजबूत करने का अधिकार देता है।
- यह राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) और अन्य डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं के संचालन के लिए वैधानिक ढांचा भी प्रदान करेगा।
- यह, खेल में डोपिंग रोधी गतिविधियों को मजबूत करने के लिए खेल में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड के निर्माण का भी प्रावधान करता है।

नाडा को प्रदत्त शक्तियां:

- यह विधेयक, नाडा को जांच, निरीक्षण की शक्तियां, नमूना एकत्र करने और सूचनाओं को साझा करने और मुक्त प्रवाह, डोपिंग रोधी

नियमों के उल्लंघन के लिए प्रतिबंध लगाने और अपनाई जाने वाली अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं की शक्तियां प्रदान करने का प्रयास करता है।

- इस विधेयक का खंड 19, नाडा को इसके द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा "प्रवेश, खोज और जब्ती" की शक्ति प्रदान करता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कोई डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं।
- हालाँकि, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए।

नाडा की शक्तियां:

इससे पहले, नाडा के पास छापेमारी करने का कोई अधिकार नहीं था और नाडा के डोपिंग रोधी अपील पैनल ने भी ऐसा ही किया है। कई पूर्व खिलाड़ी, राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रमुख और विशेषज्ञ वाडा एंटी-डोपिंग कोड के अंतर्गत बनाए गए मौजूदा नियमों को और अधिक मजबूती देने के लिए डोपिंग रोधी कानून बनाने की मांग करते रहे हैं।

एनडीटीएल की स्थिति:

विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) ने वर्तमान में एनडीटीएल को निलंबित कर दिया है क्योंकि यह तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रही है।

पृष्ठभूमि:

- भारत ने खेल में डोपिंग के विरुद्ध 2005 में "संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" पर हस्ताक्षर किए और नवंबर 2007 में इसकी पुष्टि की।
- इसके बाद, भारत सरकार ने 2008 में NDTL और 2009 में NADA की स्थापना की थी। दोनों को समाज के रूप में स्थापित किया गया था।
- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इस विधेयक के साथ, दोनों एजेंसियों को भंग और पुनर्गठित किया जाएगा।

नाडा का पुनर्गठन:

नाडा का गठन इसी नाम से एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में किया जाएगा। इसका प्रधान कार्यालय पहले की तरह नई दिल्ली में ही रहेगा। इसकी अध्यक्षता, एक महानिदेशक करेंगे, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी।

खेल में डोपिंग रोधी के लिए राष्ट्रीय बोर्ड:

प्रस्तावित विधेयक में खेल में एक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड स्थापित करने का भी प्रयास है, जिसमें एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य सम्मिलित होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

3. भारत में सेमीकंडक्टर फैब इकाइयां स्थापित करने की योजना:

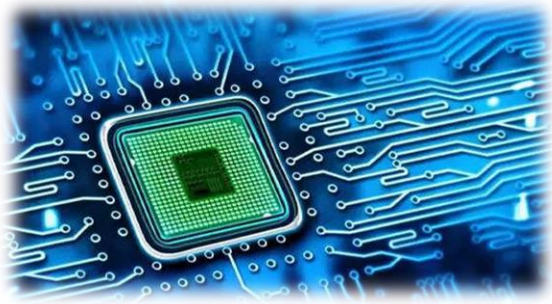

हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए अर्धचालक नीति अधिसूचित की है।

प्रमुख बिंदु:

- इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 (NPE 2019) पर राष्ट्रीय नीति के अनुरूप हाल ही में कैबिनेट द्वारा सेमीकंडक्टर नीति को सहमति दी गई थी।
- भारत में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा यह नीति शुरू की गई थी।
- यह नीति, भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भी प्रयासरत है।
- सरकार की अधिसूचना के अनुसार, भारत में सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना को सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की खरीद में वरीयता द्वारा समर्थित किया जाएगा।

सरकार द्वारा आर्थिक सहायता:

- सरकार ने, पूरे भारत में चिप निर्माण और डिजाइन सुविधाओं की स्थापना के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिसंबर 2021 में 76,000 करोड़ रुपये के पैकेज का अनावरण किया था।
- इस नीति के कार्यान्वयन के लिए, सरकार, भारत में दो सेमीकंडक्टर और दो डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए परियोजना लागत के लगभग 50% की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- इस योजना के लिए आवेदन विंडो 1 जनवरी, 2022 को 45 दिनों के लिए खुलेगी।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार छः वर्ष के लिए समान आधार पर सहायता प्रदान करेगी।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुमोदन के आधार पर वास्तविक वित्तीय सहायता, बहिर्वाह का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।
- इस योजना के परिव्यय का 5% भारत में अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास (अनुसंधान और विकास), कौशल विकास और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा समर्थन:

- सरकार, संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना के अंतर्गत अतिरिक्त बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करेगी।

- राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता के अलावा, सरकार अनुसंधान एवं विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए भी सहायता करेगी।

4. नियम उल्लंघन पर विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) की रिपोर्ट:

विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) ने हाल ही में "नियम उल्लंघन" पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की।

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- भारत में अपराधियों की संख्या और 2019 में बढ़ी, जिससे भारत दुनिया के सबसे बड़े डोपिंग उल्लंघनकर्ताओं में शीर्ष तीन में सम्मिलित हो गया।
- शरीर सौष्ठव, भारोत्तोलन और एथलेटिक्स ने भारत के शर्मनाक रिकॉर्ड में प्रमुख योगदान दिया है।
- 2019 में, 152 डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन (ADRV), जो दुनिया के कुल 17 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार थे, भारत में दर्ज किए गए थे।
- कुल अपराधियों में से, शरीर सौष्ठव (57) से अधिकतम डोप अपराधियों की सूचना मिली है।
- ओलंपिक खेलों में, भारोत्तोलन 25 ADRV के साथ आगे है। इसके बाद एथलेटिक्स (20) और कुश्ती (10) का स्थान है।

ONLINE LEARNING WITH EXPERTS

- मुक्केबाजी और जूडो से भी चार-चार एडीआरवी की सूचना है।
- 2019 में चार क्रिकेटरों ने भी ADRVs किए थे।

वैश्विक परिदृश्य:

दुनिया भर में, रूस 167 ADRV के साथ इस सूची में शीर्ष पर है। 157 ADRV के साथ रूस के बाद इटली का स्थान है। 78 एडीआरवी के साथ ब्राजील चौथे स्थान पर है और ईरान 70 एडीआरवी के साथ पांचवें स्थान पर है।

रूस में ADRVs:

रूस को टोक्यो ओलंपिक में अपनी राष्ट्रीय टीम को भेजने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि उसने अंतरराष्ट्रीय डोपिंग रोधी नियमों का पालन नहीं किया था। इसे अब उल्लंघनकर्ताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। रूस में 2018 की तुलना में अधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

2018 रिपोर्ट:

2018 वाडा की रिपोर्ट में, भारत को 107 एडीआरवी के साथ चौथे स्थान पर रखा गया था। भारत, 144 ADRV के साथ रूस, 132 ADRV के साथ इटली और 114 ADRV के साथ फ्रांस से केवल पीछे था।

विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) के बारे में:

वाडा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा शुरू की गई एक संस्था है। यह खेलों में नशीली दवाओं के विरुद्ध लड़ाई को बढ़ावा देने, समन्वय करने और निगरानी करने के लिए कनाडा में स्थित है। इस

फाउंडेशन की प्रमुख गतिविधियों में वैज्ञानिक अनुसंधान, डोपिंग रोधी क्षमताओं का विकास, शिक्षा और विश्व डोपिंग रोधी संहिता की निगरानी शामिल है।

5. महाराष्ट्र के शक्ति विधेयक में क्या संशोधन प्रस्तावित हैं?

हाल ही में, महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री, दिलीप वलसे पाटिल ने राज्य विधानसभा में शक्ति विधेयक पर एक रिपोर्ट पेश की है।

प्रमुख बिंदु:

- एक संयुक्त समिति द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें 13 बैठकें हुईं।
- इस समिति ने मूल विधेयक में संशोधन प्रस्तुत किए, जिसे बजट सत्र में संयुक्त समिति को भेजा गया।
- इस विधेयक के शीतकालीन सत्र 2021 में पारित होने की संभावना है।
- यह शक्ति आपराधिक कानून (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2020
- महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर एक विधेयक है।
- इस बिल में रेप के मामलों में मौत की सजा की सिफारिश की गई है।

- यह शिकायत दर्ज होने के दिन से जांच पूरी करने के लिए 30 दिनों की समय-सीमा की भी सिफारिश करता है।
- इस संशोधन ने पुलिस जांच के लिए डेटा साझा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट डेटा प्रदान करने वाली कंपनियों पर जिम्मेदारी डाल दी है।

अगर 30 दिनों के भीतर जांच पूरी नहीं हुई तो क्या होगा?

इस संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि ऐसे अपराध के मामलों की जांच भी 30 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, तो विशेष महानिरीक्षक या पुलिस आयुक्त से कारण सुनने के बाद 30 दिन और प्रदान किए जाएंगे।

सोशल मीडिया और मोबाइल डेटा प्रदाताओं के लिए सजा:

इस संशोधन विधेयक में बलात्कार के मामलों में जांच अधिकारियों द्वारा मांग किए जाने पर सात दिनों के भीतर डेटा साझा करने में विफल रहने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मोबाइल डेटा प्रदाताओं के लिए दंड का प्रावधान भी है। इसमें तीन महीने की जेल या 25 लाख रुपये का जुर्माना होगा।

अग्रिम जमानत:

विधेयक के पिछले संस्करण में महिलाओं पर हमले के आरोपी व्यक्तियों के लिए अग्रिम जमानत के प्रावधान को हटा दिया गया था। लेकिन, नए बिल के अंतर्गत इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है।

यौन उत्पीड़न के लिए दंड:

विधेयक में यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत करने वालों को एक वर्ष से तीन वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है।

6. अफगान सहायता पर यूएनएससी के प्रस्ताव की क्या विशेषताएं हैं?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने तालिबान के विरुद्ध प्रतिबंधों में छूट की अनुमति देने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया।

इस संकल्प की विशेषताएं:

- यह छूट, अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान करने की सुविधा प्रदान करने पर केन्द्रित है।
- इसमें अफगानिस्तान में बुनियादी मानवीय जरूरतों का समर्थन करने के लिए तत्काल मानवीय सहायता और अन्य गतिविधियां शामिल हैं।
- यह, मुख्य रूप से गरीब या संकटग्रस्त आबादी को लाभान्वित करेगा या अन्यथा मानव पीड़ा से राहत देगा।

कुछ सहायता और गतिविधियों में शामिल हैं:

- आश्रय और निपटान सहायता
- खाद्य सुरक्षा
- शिक्षा
- आजीविका समर्थन
- ऊर्जा और जल
- COVID से संबंधित सहायता सहित स्वच्छता और स्वास्थ्य,
- पोषण, और स्वच्छता

यूएनएससी प्रस्ताव 2615 के बारे में:

UNSC के प्रस्ताव में प्रत्येक छः माह में दी गयी छूट की समीक्षा अनिवार्य है। यह सहायता प्रदाताओं को यह प्रयास करने और सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि लाभ 1988 की प्रतिबंध सूची में निर्दिष्ट संस्थाओं को न मिले। यह साथ ही एक आपातकालीन राहत समन्वयक से अनुरोध करता है कि सहायता के वितरण पर प्रत्येक छः माह में यूएनएससी को जानकारी दें। इसमें सभी पक्षों से मानवाधिकारों का सम्मान करने और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने को कहा गया है।

भारत ने किया इसके पक्ष में वोट:

भारत ने प्रतिबंधों से छूट देने के लिए यूएनएससी के प्रस्ताव का समर्थन किया है, इस आलोक में कि अफगानिस्तान की आधी आबादी तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि, सहायता

निष्पक्ष रूप से वितरित की जानी चाहिए। यह तटस्थता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि, सहायता जातीयता, धर्म या राजनीतिक विश्वास के बावजूद सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए और महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों सहित सबसे कमजोर लोगों तक पहुंचनी चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी):

UNSC संयुक्त राष्ट्र (UN) के छः प्रमुख अंगों में से एक है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने के अलावा, यह निकाय संयुक्त राष्ट्र महासभा में नए संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के प्रवेश की भी सिफारिश करता है। इसे शांति स्थापना अभियान स्थापित करने, सैन्य कार्रवाई को अधिकृत करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू करने का अधिकार है।

7. भारत में हाथियों की अप्राकृतिक मृत्यु के क्या कारण हैं?

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, 2009 और 2019 के बीच, पूरे भारत में 600 हाथियों की मृत्यु बिजली के करंट से हुई है।

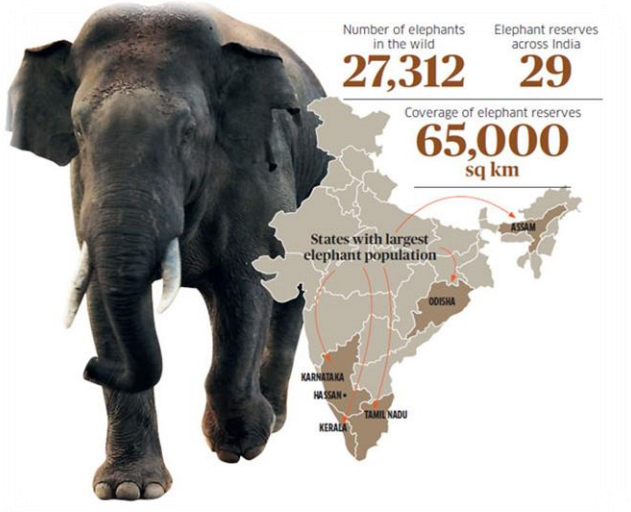

प्रमुख बिंदु:

- कुल मृत्युओं में से 116 कर्नाटक में, 117 ओडिशा में जबकि 105 असम में हुईं हैं।
- अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और महाराष्ट्र एकमात्र ऐसे राज्य हैं जहां ऐसी शून्य मौतें हुई हैं।

कर्नाटक में मृत्यु:

- कर्नाटक पिछले कुछ वर्षों में सबसे अधिक हाथियों की अप्राकृतिक मृत्यु दर्ज कर रहा है। हालांकि, संख्या में कमी आई है, परन्तु लेकिन छोटे हाथियों की मृत्यु के 5-6 मामले हाल ही में सामने आये हैं।
- जून 2021 में कोडागु में चार छोटे हाथियों की मौत हो गई थी, जबकि अक्टूबर 2020 में बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क बेंगलुरु में दो नर हाथियों की करंट लगने से मौत हो गई।
- हाथियों की मृत्यु तब होती है जब वे निजी भूस्वामियों द्वारा लगाई गई बिजली की बाड़ के संपर्क में आ जाते हैं।

हाथियों को बचाने के लिए सरकार का प्रोजेक्ट:

सरकार, हाथी श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को "प्रोजेक्ट हाथी" नामक योजना के अंतर्गत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है।

हाथी परियोजना के बारे में:

जंगली एशियाई हाथियों के संरक्षण के लिए राज्यों द्वारा किए गए वन्यजीव प्रबंधन प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान

करने के लिए प्रोजेक्ट हाथी 1992 में शुरू किया गया था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है। **योजना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ कार्यान्वित की जा रही है:**

1. हाथियों, उनके आवास और गलियारों की सुरक्षा करना।
2. मानव-पशु संघर्ष के मुद्दों को संबोधित करना।
3. बंदी हाथियों का कल्याण करना।

योजना का क्रियान्वयन:

हाथी परियोजना, मुख्य रूप से 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, नागालैंड, महाराष्ट्र, मेघालय, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में लागू की जा रही है।

अनुग्रह राशि:

इस योजना में मानव मृत्यु या चोट, संपत्ति को नुकसान और फसल के नुकसान के मामले में अनुग्रह राशि का प्रावधान भी है।

एशियाई हाथी: संरक्षण की स्थिति

IUCN रेड लिस्ट: लुप्तप्राय श्रेणी।